न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 103/2018

1 नारायण सिंह पुत्र बक्ससिंह जाति राजपुत निवासी सौथलिया तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 प्रहलाद सिंह पुत्र सतीदान सिंह।
2 हरिसिंह पुत्र सतीदान सिंह।
3 मंगेज सिंह पुत्र सतीदान सिंह।
4 भैरूसिंह पुत्र सतीदान सिंह।
5 रणजीत सिंह पुत्र सतीदान सिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण सौथलियां तहसील खण्डेला जिला सीकर।
6 पटवारी हल्का सौथलियां तहसील खण्डेला जिला सीकर।
7 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 23.10.2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला
उनवानी प्रकरण प्रहलाद सिंह बनाम
नारायण सिंह आदि आवेदन अन्तर्गत धारा
251ए आर.टी.एक्ट मुकदमा नम्बर 1/2018
अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बजरंग सिंह राजपूत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 03.03.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 1/2018 में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक आवेदन इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 471,778,479,480,481,482,483,487,488,489 ग्राम सोथलिया तन बावड़ी में अवस्थित है जिसकी खातेदारी रेस्पोडेंट के नाम दर्ज है। भूमि खसरा नम्बर 470/3,491,492 अपीलांट के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि में आने जाने हेतु रेस्पोडेंट द्वारा 8 फिट चौड़ा रास्ता कायम कराने हेतु उक्त आवेदन पेश किया। रेस्पोडेंट द्वारा वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 491,492 के उत्तरी पश्चिमी सिरे के सहारे रास्ता होना अंकित कर उसी रास्ते से आवागमन किया जाना अंकित करते हुए उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम किये जाने हेतु उक्त आवेदन पेश किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब में भूमि खसरा नम्बर 491,492 के उत्तरी पश्चिमी सिरे के सहारे कोई रास्ता नही होना अंकित कर जवाब प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा तहसीलदार महोदय खण्डेला द्वारा उनवानी प्रकरण हरिसिंह पुत्र नारायणसिंह के 251ए आर.टी.एक्ट मुकदमा नम्बर 8/2014 में दी गई रिपोर्ट में खसरा नम्बर 471 जो खसरा नम्बर 469 गैरमुमकिन रास्ता जो आम रास्ता है। पावण्डा की ढ़ाणी से सोथलिया जाता है। खसरा नम्बर 489, 471 अपीलांट की खातेदारी में है इस प्रकार रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के पास आने जाने का रास्ता पूर्व से ही मौजुद है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट के आवेदन को निरस्त किये जाने बाबत अंकित कर उक्त जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.10.2018 को आदेश दिये की खसरा नम्बर 492 मे 36 मीटर लम्बाई मे चोड़ाई 8 फीट के हिसाब से रकबा 87 वर्ग मीटर तथा खसरा नम्बर 491 में लम्बाई उत्तर दक्षिण 76 मीटर व पूर्व पश्चिम 50 मीटर कुल लम्बाई 126 मीटर व चौड़ाई 8 फिट के हिसाब से कुल 306 वर्गमीटर के हिसाब से 393 वर्गमीटर भूमि गैर मुमकिन सिवाचक भूमि सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है उक्त रास्ते में आने वाली भूमि 393 वर्गमीटर वर्तमान डी.एल.सी. की दर की दुगुना राशि से आंकलन कर खसरा नम्बर 491,492 के प्रभावित काश्तकारों को प्रतिकर हेतु जमा योग्य राशि प्रार्थी से वसुल कर राजकोष में जमा लिये जाने के उपरान्त तहसीलदार खण्डेला उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। इस निर्णय के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आवेदक ने अपने आवेदन में पहले रास्ता चालु होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में धारा 251ए लागु नही होता है। अपीलांट ने अपने जवाब कथन में मद संख्या 2 में स्पष्ट अंकन किया है कि बंटवारे का दावा विचाराधीन है। प्राथमिक डिक्री के अनुसार रास्ता कायम किया जाना है। प्राथमिक डिक्री की अपील नही की गई है। अपीलांट द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन धारा 251ए संख्या 8/2014 हरिसिंह बनाम नारायण सिंह यह कहते हुये विड्रा किया गया कि सुखाधिकार के तहत दावा पेश करना है। सिविल न्यायालय में भी दावा लम्बित है सिविल न्यायालय की मौका रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर 491,492 में से रास्ता अवस्थित नही होना अंकन है। विचारण न्यायालय ने दस्तावेजों का अवलोकन एवं विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। आवेदक अपीलांट को हैरान परेशान करने के लिए उनकी भूमि में से रास्ता कटवाना चाहते है। अपील स्वीकार की जावें।

राजस्व अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 491,492 के उत्तर की और की खातेदारी रेस्पोडेंट के नाम दर्ज है। कटानी रास्ता पूर्व पश्चिम की और है। वांछित रास्ते से कदीम से आवागमन कर रहे है हम भूमि के बदले जमीन देने के लिए तैयार है। पूर्व में समझोता लिखावट भी हुई है तहसीलदार की रिपोर्ट में लघुतम रास्ता होना अंकित है। निर्णय की पालना में डी.एल.सी. दोगुनी राशि जमा करवाई जा चुकी है। विचारण न्यायालय के बंटवारे का डिक्री के विरूद्व अपीलांट ने अपील कर स्थगन ले रखा है। अपीलांट ने दूरभि संधि कर आवेदक का रास्ता बन्द कर रखा है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में आर.बी.जे. 2013 पेज 20 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक ने अपने आवेदन में पहले रास्ता चालु होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में धारा 251ए लागु नही होता है। अपीलांट ने अपने जवाब कथन में मद संख्या 2 में स्पष्ट अंकन किया है कि बंटवारे का दावा विचाराधीन है। प्राथमिक डिक्री के अनुसार रास्ता कायम किया जाना है। प्राथमिक डिक्री की अपील नही की गई है। अपीलांट द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन धारा 251ए संख्या 8/2014 हरिसिंह बनाम नारायण सिंह यह कहते हुये विड्रा किया गया कि सुखाधिकार के तहत दावा पेश करना है। सिविल न्यायालय में भी दावा लम्बित है सिविल न्यायालय की मौका रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर 491,492 में से रास्ता अवस्थित नही होना अंकन है। विचारण न्यायालय ने दस्तावेजों का अवलोकन एवं विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि सहकाश्तकारी की होने, रास्ते का विवाद सिविल न्यायालय में लम्बित होने, विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के सन्दर्भ में बंटवारे की प्राथमिक डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जारी करने एवं उसकी अपील इस न्यायालय में लम्बित होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण धारा 251ए की परिधि में नही माना जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

([illegible] सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर